कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बेमेतरा (छ.ग.)

दूरभाष क. 07824–222129, फैक्स क. 07824–222029
E-Mail bemetara.cg@gov.in

।। आदेश ।।

क्रमांक/ 2560 /अ.जि.द/कोरोना–19/2020 बेमेतरा दिनांक 30/07/ 2020

नोवेल कोरोना वायरस (Covid-19) के संक्रमण रोकने के लिए तथा इस पर नियंत्रण हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/2469/अ.जि.द/कोरोना–19/2020 बेमेतरा दिनांक 28.07.2020 द्वारा बेमेतरा जिला के राजस्व सीमा के अंतर्गत पूर्वती आदेश के समय सीमा में वृद्धि करते हुये इसे सम्पूर्ण बेमेतरा जिले में दिनांक 06.08.2020 की मध्य रात्रि 12:00 बजे तक प्रभावशील घोषित किया गया था तथा इस अवधि में अनुमति प्राप्त (प्रतिबंध से मुक्त दुकानों/बाजार) आदि के संचालन का समय प्रातः 06:00 बजे से सुबह 10:00 बजे तक निर्धारित किया गया था।

वर्तमान में प्रभावशील लॉक डाउन के उपरांत भी जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की गति कम नहीं हुई है तथा वर्तमान में भी कोरोना वायरस से आमजन को संक्रमण का खतरा बना हुआ है।

अतः आगामी त्यौहार दिवस आदि पर लागू किये गये इस आदेश को पूर्ववत रखते हुये कार्यालयीन आदेश क्रमांक/2469/अ.जि.द/कोरोना–19/2020 बेमेतरा दिनांक 28.07.2020 में दी गयी व्यवस्था अनुसार छूट प्राप्त (प्रतिबंध से मुक्त दुकानों) के **संचालन का समय दिनांक 31.07.2020 से 06.08.2020 तक यथावत प्रातः 06:00 बजे से सुबह 10:00 बजे तक रखी जाती है।**

इस दौरान सिनेमा हॉल, शापिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, क्लब, ऑडिटोरियम, स्टेडियम, स्पोटर्स काम्पलेक्स आदि पूर्ववत बंद रहेंगे।

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/2469/अ.जि.द/कोरोना–19/2020 बेमेतरा दिनांक 28.07.2020 के निरंतरता में यह आदेश जारी किया जाता है।

उपरोक्त वर्णित गतिविधियों में संशय उत्पन्न होने पर जिला मजिस्ट्रेट, बेमेतरा का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(शिव अनंत तायल)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला–बेमेतरा (छ.ग.)

क्रमश...02

Scanned with CamScanner

क्रमांक/ 2560 /अ.जि.द./कोरोना–19/2020 बेमेतरा,दिनांक /07/2020

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर रायपुर को सादर सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग/राजस्व विभाग/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर को सादर सम्प्रेषित।
3. आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग को सादर अवलोकनार्थ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग जोन दुर्ग को अवलोकनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक, जिला बेमेतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। उपरोक्त आदेश का पालन सुनिश्चित करावे।
6. वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग (कैम्प कार्यालय बेमेतरा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. अपर जिला मजिस्ट्रेट बेमेतरा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बेमेतरा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ। कृपया सभी ग्राम पंचायतों में उक्ताशय का मुनादी कराये जाने निर्देश हेतु।
9. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला बेमेतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी .... जिला बेमेतरा को सूचनार्थ।
11. अनुविभागीय दण्डाधिकारी(पुलिस) बेमेतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. तहसीलदार सर्व .... जिला बेमेतरा को सूचनार्थ। कोटवारों के माध्यम से मुनादी भी करायें।
13. सर्व थाना प्रभारी एवं चौकी प्रभारी, बेमेतरा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
14. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद बेमेतरा एवं समस्त नगर पंचायत, जिला बेमेतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु तदाश्य की सूचना आम मुनादी द्वारा प्रदान किये जाने हेतु, प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावशील होने के दौरान आकस्मिक जांच की कार्यवाही जारी रखे।
15. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। आदेश का प्रसारण सम्पूर्ण जनपद पंचायत क्षेत्र किया जाकर अवगत करावे, उल्लंघन पर कार्यवाही सुनिश्चित करें।
16. सहायक संचालक, जन सम्पर्क विभाग, जिला बेमेतरा को प्रेस रिलीस जारी कर, समस्त दैनिक समाचार पत्रों, प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया में निःशुल्क प्रसारित हेतु।
17. कार्यालयीन गार्ड फाईल हेतु।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला–बेमेतरा (छ0ग0)

Scanned with CamScanner